BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
ORIGINAL APPLICATION NO 21/2024 (CZ)

VIJAY SAWARKAR **…..APPLICANT(S)**

Vs.

URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING DEPARTMENT & ORS. **……RESPONDENT(S)**

INDEX

SNO	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE NO
1	Action Taken Report by Madhya Pradesh Pollution Control Board		1-3
2	Copy of the Notice dated 01.12.2024 issued to Project proponent along with postal receipt and delivery report	Annexure-1	4-9
3	Copy of the Directions dated 20.01.2025 issued to Project proponent along with postal receipt and delivery report	Annexure-2	10-15
4.	Copy of the court case filed under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 against project proponent by MP PCB	Annexure-3	16-26

Date: 04.02.2025

Submitted by MP PCB:-

through Counsel

Parul

Place: Bhopal

Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL ORIGINAL APPLICATION NO 21/2024 (CZ)

VIJAY SAWARKAR …..APPLICANT(S)

Vs.

URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING DEPARTMENT & ORS. ……RESPONDENT(S)

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HERE IN UNDER:-

1. That, the present application was filled by the applicant against the residential project (Dream Land City) in the area of Municipal Council Multai, District Betul on the grounds of non-compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and discharge of untreated water into the water bodies/lake in violation of of the Solid Waste Management Rules, 2016.
2. That, The Hon'ble Tribunal vide its order dated 04.12.2024 had directed the MP PCB to file action taken report in the present case.
3. That, Madhya Pradesh Pollution control Board, Regional office, Chindwara had imposed the Environment Compensation of 31.459 Lacs against M/s Ramdeo Baba Developers, Yavatmal (Respondent No. 7) as assessed by the Joint Committee Report dated 08.07.2024.
4. That, the MP PCB submits that vide letter dated 01.12.2024 a notice was issued to the project proponent which was delivered on 14.12.2024. The copy of the notice along with postal receipt and delivery report is enclosed as **Annexure-1**.

5. That after thirty days of service of notice no reply/objection regarding the notice was submitted by the project proponent to the MP PCB. Thus the said notice was converted into directions by letter dated 20.01.2025 which has been delivered to project proponent on 02.02.2025. The copy of the notice along with postal receipt and delivery report is enclosed as **Annexure-2.** Hence the compensation levied is final as MP PCB has duly complied with principles of natural justice.
6. That, considering the gravity of the violation the MP PCB submits that the District Collector, Betul may be directed for initiating the process of recovery of the EC imposed on the Project Proponent under MP Land Revenue Code, 1959.
7. That the MP PCB has also filed Court case the Project Proponent under Section 24 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 2024 before the Learned CJM, Disitrct Betul. The case is now listed for appearance for of the accused. The relevant documents are filed herewith as **ANNEXURE-3**.
8. That vide order dated 04.12.2024 the matter was proceeded ex-parte against the project proponent M/s Ramdeo Baba Developers, Yavatmal (Respondent No. 7).
9. The Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take the aforesaid action taken report on record.

Date: 04.02.2025 **Submitted by MP PCB:-**

through Counsel

Place: Bhopal

Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
In Front of Mullaji Petrol Pump, Parasia Road Chhindwara
Phone - 07162-220311/12, E-mail-romppcbcwh@gmail.com, ropcb-chhindwara@mp.gov.in, Web :- www.mppcb.nic.in

No 1105 / RO/PCB/ 2024/CHW Date 1 / 12 /2024

To,

1. **The Project proponent**
   M/s Ramdev Baba Varco
   Developers, Yawatmal
   Maharashtra
2. **The occupier**
   Dream Land City
   Multai, Betul

Sub: - Imposition of Environment Compensation for the period 08.02.2024 to 08.04.2024 due to not establishing sewage network and treatment plant which is a violation under Water (Prevention and Control of Pollution) Act' 1974& also not obtain consent to operate under orange category. Notice thereof.

Ref:- Order of Hon'ble NGT in OA No. 21/2024 dated 09.09.2024.

----00----

Whereas MP Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory body constituted under section 4 of the Water (Prevention& Control of Pollution) Act, 1974 and has been entrusted with the responsibilities of enforcement of the Environment Laws in the State.

Whereas, an OA21/2024(CZ) (Vijay Sawarkar vs. Urban development and housing Department & Ors.), was filed before Hon'ble NGT regarding not establishing sewage network and treatment plant&also not obtain consent to operate under orange category.

Whereas, a Joint Committee was constituted as per order of Hon'ble NGT dated 08.02.2024 and Joint Committee was directed to visit the place and submit the factual and action taken report.

Whereas, the 'Dream Land City' site is located at Multai town of Betul having geographical location as latitude 21.792519^0 and Longitude 78.242300^0.

Whereas, the Joint Committee constituted by Hon'ble NGT as per order dated 08.02.2024 inspected the above site on 03.04.2024 and observed following shortcomings: -

1. M/s Ramdev Baba Varco Developers, Yawatmal has not obtained Environment clearance as per the provisions of EIA notification, 2006.
2. M/s Ramdev Baba Varco Developers, Yawatmal has not obtained CTE (consent to establishment) & CTO (consent to operate) from the Madhya Pradesh pollution control board.
3. Sewer line, sewage treatment plant, rain water harvesting not found.

Whereas, the Joint Committee submitted the report before the Hon'ble NGT along with the assessment of Environmental Compensation of Rupees 31.459 Lakhs (Thirty one lakh forty five thousand nine hundred) against the M/s Ramdev Baba Varco Developers, Yawatmal for period from

08.02.2024 to 08.04.2024 for discharge of Untreated/Partially treated sewage as per the CPCB Guidelines.**(copy of the joint committee report enclosed)**

Whereas, you are Project Proponent/Occupier of the Dream Land City at Multai, Betul and it is the mandatory duty of project proponent/occupier to obtain CTE (Consent to Establishment) & CTO (Consent to Operate) under Water (Prevention& Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention& Control of Pollution) Act, 1981 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board.

Whereas the Joint Committee also found that No sewage treatment plant and domestic effluent was accumulated at the site which is violation of section 24 of Water (Prevention and Control of pollution) Act 1974.

Therefore, you are liable to pay the Environmental Compensation to the tune of Rs. 31.459 Lakhs (Thirty One Lakh Forty Five Thousand Nine Hundred Rupees Only) as proposed by the Joint Committee. The Environment Compensation of Rs. 31.459 Lakhs (Thirty one lakh forty five thousand nine hundred) shall be deposited in the account of Member Secretary, MPPCB Environment Protection Fund NGT Account No. 6310001200000043, IFSC Code – PUNB0631000, Punjab National Bank, Bhopal.

You are hereby given an opportunity of 15 days to submit your reply/objections (if any) pertaining to the deposition of the levied environment compensation amount for the period of 08.02.2024 to 08.04.2024.

In case no reply is received within 15 days from the date of issue of this notice, above proposed environment compensation shall be confirmed and action is also liable to be initiated against the responsible persons under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act' 1974. Kindly acknowledge the receipt of this letter.

For and on Behalf of
M.P. Pollution Control Board

Regional Officer,
MP Pollution Control Board,
Chhindwara (M.P.)

No .1106../ RO/PCB/ 2024/CHW

Date .01./..12../ 2024

Copy To: -

1. The Member Secretary, MP Pollution Control Board, Bhopal (M.P.) for Information Please.
2. Director (Environment), (Technical Section), MPPCB, Bhopal (M.P.) for Information Please.
3. Legal Section, MPPCB, Bhopal (M.P.) for Information Please.

Regional Officer,
MP Pollution Control Board
Chhindwara (M.P.)

EI378865039IN IVR:6973378865039
SP CHHINDWARA H.O <480001>
Counter No:1,10/12/2024,12:59
To:OCCUPIER,DREAM LAND CITY
PIN:460661, Multai S.O
From:REGIONAL OF,MP POLLUTION CON
Wt:60gms
Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EI378865025IN IVR:6973378865025
SP CHHINDWARA H.O <480001>
Counter No:1,10/12/2024,12:59
To:PROJECT PROPO,M/S RAMDEV BABA
PIN:445001, Yavatmal H.O
From:REGIONAL OF,MP POLLUTION CON
Wt:60gms
Amt:47.20,Tax:7.20,Amt.Paid:47.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear.Masks, Stay Safe>

You are here Home>> **Track Consignment**

Track Consignment

Quick help

* Indicates a required field.

* Consignment Number

EI378865025IN

Track More

Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
Chhindwara H.O	10/12/2024 12:59:50	445001	47.20	Inland Speed Post	Yavatmal H.O	14/12/2024 14:49:00

Event Details For : EI378865025IN

Current Status : Item Delivered(Addressee)

Date	Time	Office	Event
14/12/2024	14:49:00	Yavatmal H.O	Item Delivered(Addressee)
14/12/2024	09:42:59	Yavatmal H.O	Out for Delivery
14/12/2024	08:18:53	Yavatmal H.O	Item Received
13/12/2024	21:36:00	Yeotmal ICH	Item Dispatched
13/12/2024	21:26:00	Yeotmal ICH	Item Bagged
13/12/2024	02:55:33	Nagpur NSH	Item Dispatched
12/12/2024	20:33:05	Nagpur NSH	Item Bagged
12/12/2024	17:19:29	Nagpur NSH	Item Received
11/12/2024	14:00:00	Jabalpur NSH	Item Bagged
11/12/2024	10:25:27	Jabalpur NSH	Item Received
10/12/2024	21:22:23	Chhindwara H.O	Item Dispatched
10/12/2024	20:14:04	Chhindwara ICH	Item Dispatched
10/12/2024	20:04:41	Chhindwara ICH	Item Bagged
10/12/2024	19:43:30	Chhindwara ICH	Item Received
10/12/2024	19:30:28	Chhindwara H.O	Item Dispatched

10/12/2024	19:24:56	Chhindwara H.O	Item Bagged
10/12/2024	12:59:50	Chhindwara H.O	Item Booked

Home
About Us
Forms
Recruitments
Holidays
Feedback
Right To Information

Tenders India
Related sites
Website Policies
Contact Us
Employee Corner
Sitemap
Help

External Links

The national portal of India india.gov.in

National Voter's Service Portal
India Code
Application Security Audit Report

GET IT ON Google Play

Postinfo

Download the Post Info App

This website belongs to **Department of Posts, Ministry of Communications, GoI.** Created and Managed by **Tata Consultancy Services Ltd**.
Content owned and updated by Department of Posts, Ministry of Communications, Government of India. Last Updated: **29 Dec 2024**

REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
In Front of Mullaji Petrol Pump, Parasia Road Chhindwara
Phone - 07162-220311/12, E-mail-romppcbcwh@gmail.com, ropcb-chhindwara@mp.gov.in, Web :- www.mppcb.nic.in

No .50../ RO/PCB/ 2024/CHW Date .20./..01..../2025

To, ANNEXURE-2

1. **The Project Proponent**
M/s Ramdev Baba Varco
Developers, Yawatmal, Maharashtra

2. **The Occupier**
Dream Land City, Multai, Betul.

Sub: - Imposition of Environment Compensation for the period 08.02.2024 to 08.04.2024 violation of directions of Hon'ble National Green Tribunal and violation under Water (Prevention and Control of Pollution) Act' 1974, Direction thereof.

Ref:- 1. Order of Hon'ble NGT in OA No. 21/2024 dated 09.09.2024.
2. This office notice No. 1105 Dated 01/12/2024.

----00----

Whereas MP Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory body constituted under section 4 of the Water (Prevention& Control of Pollution) Act, 1974 and has been entrusted with the responsibilities of enforcement of the Environment Laws in the State.

Whereas, an OA 21/2024(CZ) (Vijay Sawarkar vs. Urban development and housing Department & Ors.), was filed before Hon'ble NGT regarding not establishing sewage network and treatment plant&also not obtain consent to operate under orange category.

Whereas, a Joint Committee was constituted as per order of Hon'ble NGT dated 08.02.2024 and Joint Committee was directed to visit the place and submit the factual and action taken report.

Whereas, the 'Dream Land City' site is located at Multai town of Betul having geographical location as latitude 21.792519^0 and Longitude 78.242300^0.

Whereas, the Joint Committee constituted by Hon'ble NGT as per order dated 08.02.2024 inspected the above site on 03.04.2024 and observed following shortcomings: -

1. M/s Ramdev Baba VarcoDevelopers, Yawatmal has not obtained Environment clearance as per the provisions of EIA notification,2006.
2. M/s Ramdev Baba VarcoDevelopers, Yawatmal has not obtained CTE (Consent To Establishment) & CTO (Consent To Operate) from the Madhya Pradesh pollution control board.
3. Sewer line, Sewage treatment plant, Rain Water Harvesting not found.

Whereas, the Joint Committee submitted the report before the Hon'ble NGT along with the assessment of Environmental Compensation of Rupees 31.459 Lakhs (Thirty-One Lakh Forty-Five Thousand Nine Hundred) against the M/s Ramdev Baba Varco Developers, Yawatmal for period from 08.02.2024 to 08.04.2024 as per the CPCB Guidelines.

Whereas, you are Project proponent/Occupier of the Dream Land City at Multai, Betul and it is the mandatory duty of project proponent/occupier to obtain CTE (Consent To Establishment) & CTO (Consent To Operate) from the Madhya Pradesh Pollution Control Board & No sewage treatment plant at the site which is violation of section 24 of Water (Prevention and control of pollution) Act 1974.

Whereas the Hon'ble National Green Tribunal in compliance of the order dated 09.09.2024 had directed the MP PCB to assesses and finalize the environmental compensation to be imposed on the project proponent for violation of rules as per law.

Whereas in the compliance of the orders of the Hon'ble Tribunal this Office had issued you a Notice No. 1105 dated 01/12/2024 providing the opportunity to Project Proponent/Occupier to submit your reply/objections (if any) within 15 days from the service of notice, pertaining to the deposition of the levied environment compensation amount **Rs. 31.459 Lakhs (Thirty-one lakh forty-five thousand nine hundred)** for the period of 08.02.2024 to 08.04.2024.

Whereas that the above notice was delivered to your office in 14.12.2024 by speed post, however till date no reply of above referred notice date 01/12/2024 has been received from your end.

You are hereby directed to pay environment compensation of **Rs. 31.459 Lakhs (Thirty-One Lakh Forty-Five Thousand Nine Hundred)** of violation from 08.02.2024 to 08.04.2024 within 15 days from the date of issue of these direction in the **Member Secretary, MPPCB Environment ProtectionFund NGT Account No. 631000120000043 IFSC Code-PUNB06310000, Punjab National Bank, Bhopal.**

This issues with the approval of competent authority. Kindly acknowledge the receipt of this letter.

For and on Behalf of
M.P. Pollution Control Board

Regional Officer,
(Dr. K.N. Katare)
MP Pollution Control Board,
Chhindwara(M.P.)

o/c

No ..51../ RO/PCB/ 2024/CHW

Date 20/.01..../2025

Copy To: -

1. The Member Secretary, MP Pollution Control Board, Bhopal (M.P.) for Information Please.
2. Director (Environment), (Technical Section). MPPCB, Bhopal (M.P.) for Information Please.
3. Legal Section, MPPCB, Bhopal (M.P.) for Information Please.
4. Chief Municipal Officer, Multai Betul For Information And Necessary Action Please.

Regional Officer,
(Dr. K.N. Katare)
MP Pollution Control Board
Chhindwara (M.P.)

o/c

EI378865714IN IVR:6973378865714

SP CHHINDWARA H.O <480001>

Counter No:1,27/01/2025,15:35

To:PROJECT PROPO,M/S RAMDEV BABA

PIN:445001, Yavatmal H.O

From:REGIONAL OFFICE,MP POLLUTION

Wt:40gms

Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)

<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks. Stay Safe>

भारतीय डाक

India Post

Track Consignment

Quick help

* Indicates a required field.

* Consignment Number

EI378865714IN

Track More

Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
Chhindwara H.O	27/01/2025 15:37:25	445001	41.30	Inland Speed Post	Yavatmal H.O	01/02/2025 14:40:51

Event Details For : EI378865714IN

Current Status : Item Delivered(Addressee)

Date	Time	Office	Event
01/02/2025	14:40:51	Yavatmal H.O	Item Delivered(Addressee)
01/02/2025	11:53:30	Yavatmal H.O (Beat Number:2)	Item Delivered [To: sushma dalvala (Addressee)]
01/02/2025	09:10:50	Yavatmal H.O	Out for Delivery
01/02/2025	07:58:19	Yavatmal H.O	Item Received
31/01/2025	21:28:37	Yeotmal Sorting L2U	Item Dispatched
31/01/2025	20:52:39	Yeotmal ICH	Item Dispatched
31/01/2025	16:56:48	Yeotmal ICH	Item Bagged
31/01/2025	16:21:50	Yeotmal ICH	Item Received
31/01/2025	02:28:22	Nagpur NSH	Item Dispatched
30/01/2025	20:11:52	Nagpur NSH	Item Bagged
30/01/2025	16:37:50	Nagpur NSH	Item Received
30/01/2025	12:22:41	Nagpur Rs TMO	Item Dispatched
30/01/2025	12:18:42	Nagpur Rs TMO	Item Received
30/01/2025	04:19:24	ITARSI RS TMO	Item Dispatched
30/01/2025	01:01:53	ITARSI RS TMO	Item Received
28/01/2025	22:00:00	Jabalpur NSH	Item Bagged
28/01/2025	21:24:56	Chhindwara H.O	Item Dispatched
28/01/2025	19:29:53	Chhindwara ICH	Item Dispatched
28/01/2025	19:27:06	Chhindwara ICH	Item Bagged
28/01/2025	19:23:17	Chhindwara ICH	Item Received
28/01/2025	19:17:30	Chhindwara H.O	Item Dispatched
28/01/2025	19:16:55	Chhindwara H.O	Item Bagged
28/01/2025	18:11:56	Chhindwara H.O	Item Redirected to Yavatmal H.O Insufficient Address
28/01/2025	08:48:12	Chhindwara H.O	Item Received
27/01/2025	18:59:43	Chhindwara H.O	Item Bagged

27/01/2025	15:37:25	Chhindwara H.O	Item Booked

Home
About Us
Forms
Recruitments
Holidays
Feedback
Right To Information

Tenders India
Related sites
Website Policies
Contact Us
Employee Corner
Sitemap
Help

External Links

National Voter's Service Portal
India Code
Application Security Audit Report

Download the Post Info App

This website belongs to **Department of Posts, Ministry of Communications, GoI.** Created and Managed by **Tata Consultancy Services Ltd**. Content owned and updated by Department of Posts, Ministry of Communications, Government of India. Last Updated: **02 Feb 2025**

समक्षः न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय जी, बैतूल

प्र.क्र.

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
द्वारा अरविन्द तिवारी, सहायक यंत्री
क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण परिसर
मुल्लाजी पेट्रोल पम्प के पास, परासिया रोड,
छिन्दवाड़ा म.प्र. ....**परिवादी**

विरूद्ध

1. ड्रीमलैण्ड सिटी, मुलताई जिला बैतूल म.प्र.
2. गोपाल चांडक (डेव्हलपर्स)
   रामदेव बाबा वार्को डेव्हलपमेंट यवतमाल महा.
   C/o वार्को एसोसिएट तिलक स्मारक के पीछे, महोदव मंदिर रोड
   यवतमाल (महा.) 445001
3. शरद वानखेड़े,
   प्रबंधक रामदेव बाबा वार्को डेव्हलपमेंट
   ड्रीमलैण्ड सिटी, मुलताई जिला बैतूल म.प्र.
   निवासी ग्राम परमण्डल, तह. मुलताई जिला बैतूल म.प्र.

....**अभियुक्तगण**

परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 200, अपराध अंतर्गत

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24, 25,43, 44 एवं 47

परिवादी निम्नलिखित परिवाद प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि परिवादी बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है, जिसका मुख्यालय भोपाल होकर क्षेत्रीय कार्यालय मुल्लाजी पेट्रोल पम्प परासिया रोड छिन्दवाड़ा में स्थित है। बैतूल जिला क्षेत्रीय कार्यालय छिन्दवाड़ा के अंतर्गत आता है।

2. यह कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत परिवादी बोर्ड को उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु अधिकृत किया गया है, ये अधिनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशील है।

3. यह कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 49 के तहत परिवाद श्रवण करने का अधिकार होने से परिवाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. यह कि परिवादी बोर्ड के मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 2682 दिनांक 20.08.2024 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा को आरोपीगण के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के प्रावधानो के उल्लंघन के कारण सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वीकृति प्रदन की गई है। (प्र.पी./1)

5. यह कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 50 के अनुसार परिवादी बोर्ड में कार्यरत सभी सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी लोक सेवक की श्रेणी में आते है तथा परिवादी बोर्ड की ओर से सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी को सदर परिवाद प्रस्तुत करने एवं विचारण के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 20.07.2012 के द्वारा अधिकृत किया गया है। (प्र.पी/2)

6. यह कि क्षेत्रीय अधिकारी छिन्दवाड़ा द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारी श्री अरविन्द तिवारी सहायक यंत्री को परिवादी बोर्ड की ओर से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः परिवादी बोर्ड की ओर से श्री अरविन्द तिवारी सहायक यंत्री द्वारा हस्ताक्षर कर परिवाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. यह कि आरोपी क्रमांक 1 ड्रीमलैण्ड सिटी मुलताई आवासीय परिसर है, जो कि मुलताई जिला बैतूल में स्थित है। आरोपी क्रमांक 2 गोपाल चांडक डेव्हलपर्स ड्रीमलैण्ड सिटी निवासी रामदेव बाबा वार्को डेव्हलपमेंट यवतमाल वार्को एसोसिएट तिलक स्मारक के पीछे महादेव मंदिर रोड यवतमाल महाराष्ट्र, आरोपी क्रमांक 3 शरद वानखेड़े प्रबंधक ड्रीमलैण्ड सिटी मुलताई निवासी ग्राम परमण्डल तह. मुलताई जिला बैतूल है। आरोपी क्रमांक 1 ड्रीमलैण्ड सिटी मुलताई के सभी क्रियाकलाप, व्यापार एवं संचालन पर आरोपी क्रमांक 2 एवं 3 का सीधा नियंत्रण होने से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत परिवाद पत्र में उल्लेखित अपराध हेतु उत्तरदायी है।

8. यह कि आरोपी क्रमांक 1 ड्रीमलैण्ड सिटी मुलताई के विरूद्ध माननीय राष्ट्रीय अधिकरण में प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 21/24 में पक्षकार श्री विजय सावरकर विरूद्ध शहरी आवास विभाग एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 को माननीय राष्ट्रीय अधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 08.02.2024 को संयुक्त समिति गठित की गई जिसमें (1) राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण भोपाल, (2) वैज्ञानिक ई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल, (3) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मुलताई (4) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा द्वारा दिनांक 03.04.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया जिससे आरोपीगण द्वारा परिवादी बोर्ड से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिसूचना दिनांक 10.12.2021 के अनुसार आरेंज श्रेणी के तहत संचालन सम्मति प्राप्त नही की, आरोपीगण द्वारा घरेलू जल निकासी हेतु पाइप लाइन विकसित नही की, दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित नही किया गया, जिसका विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रस्तुत किया गया था।

9. यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ.ए.क्रमांक 21/2004 विजय सावरकर विरूद्ध अर्बन डेव्हलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट एवं अन्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 08.04.2024 को परिवादी बोर्ड को आरोपीगण के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

10. यह कि परिवादी बोर्ड द्वारा आरोपीगण को समय–समय पर सूचना पत्र क्रमांक 482 दिनांक 16.05.2024, पत्र क्रमांक 557 दिनांक 14.06.2024, पत्र क्रमांक 663 दिनांक 08.07.2024 एवं पत्र क्रमांक 773 दिनांक 14.08.2024 जारी किये गये है, जिसके उपरांत भी आरोपीगण द्वारा स्थापना/संचालन सम्मति प्राप्त नही की व आज दिनांक तक भी कोई सकारात्मक कार्यवाही न कर परिवादी बोर्ड के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की जा रही है।

11. यह कि आरोपी क्रमांक 2 एवं 3 आरोपी क्रमांक 1 ड्रीमलैण्ड सिटी कालोनी के संचालन व निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं साथ ही आरोपी क्र. 1 भी इस अपराध के लिए दोषी है। आरोपीगण द्वारा अपराध के निवारण के लिए सम्यत

तत्परता नही बरती गई हैं। आरोपीगण द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत परिवाद पत्र में उल्लेखित अपराध हेतु उत्तरदायी है।

12. यह कि आरोपीगण द्वारा ड्रीमलैण्ड सिटी में आरोपीगण द्वारा घरेलू जल निकासी हेतु पाइप लाइन विकसित नही की गई, दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित नही किया गया साथ ही स्थापना/संचालन सम्मति परिवादी बोर्ड से प्राप्त न कर आज दिनांक तक निरंतर जानबूझकर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधि. 1974 के प्रावधानो का उल्लंघन करने का अपराध किया जा रहा है, जो दण्डनीय है।

13. यह कि परिवादी परिवाद पत्र के समर्थन में सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है, एवं शेष दस्तावेज प्रस्तुत करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।

अतः परिवादी बोर्ड की ओर से माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि न्याय हित में आरोपीगण को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 एवं 47 के अनुसार सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित किये जाने की कृपा करें।

Vishal mhaski
6260132532

स्थान

दिनॉक | परिवादी | अधिवक्ता वास्ते परिवादी

<u>परिवादी साक्षी की सूची :–</u>

1. श्री अरविन्द तिवारी सहायक यंत्री, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाड़ा
2. के.एन. कटारे क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाड़ा म.प्र.

समक्षः न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय जी, बैतूल
प्र.क्र.

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
[illegible], [illegible]..परिवादी

विरूद्ध

ड्रीमलैण्ड सिटी, व अन्य..अभियुक्तगण

RBais
Oath Commissioner
Betul
6.9.024

शपथ पत्र

मै अरविन्द तिवारी सहायक यंत्री क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड मुल्लाजी पेट्रोल पम्प के पास, परासिया रोड, छिन्दवाड़ा म.प्र. का होकर निम्नानुसार शपथ पर कथन करता हूँ :-

1. यह कि मै म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सहायक यंत्री होकर वर्तमान परिवाद प्रस्तुत करने हेतु बोर्ड की ओर से अधिकृत एवं निर्देशित हूँ तथा मुझे वर्तमान प्रकरण की समस्त स्थितियों एवं तथ्यो का पूर्ण ज्ञान है।

2. यह कि मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष बोर्ड की ओर से परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं. अपराध अंतर्गत धारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24, 25,43, 44 एवं 47 के तहत प्रस्तुत किया गया है। उक्त परिवाद में वर्णित तथ्य एवं जानकारी मेरे निजी ज्ञान, विश्वास एवं उपलब्ध कार्यालय रिकार्ड के आधार पर सत्य एवं सहीं है।

3. यह कि यह शपथ पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद पत्र के समर्थन में तथ्यों की पुष्टि स्वरूप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

शपथकर्ता

सत्यापन

मै उपरोक्त शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र की कंडिका 1 लगायत 3 में लिखे समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी के आधार पर सत्य व सही है।

बैतूल
दिनाँक

शपथकर्ता

Shown Before me on 6.9.024
day of ... Son of ... अरविंद तिवारी सहायक यंत्री क्षेत्रीय कार्यालय मुल्लाजी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा म.प्र.
Identified by
(1) ओमप्रकाश पिता गेंदलाल नि. बैतूल बाजार तह.जि. बैतूल
(2)
Whose Signature are Appended
RBais
Oath Commissioner
Betul

क्रं.V 6597

॥श्री॥

वकालत नामा

(अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विरचित नियमों का नियम 4 (1))

समक्ष न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी महो. बैतूल

प्रकरण / कार्यवाही क्रमांक .... / वादी / अपीलार्थी / दावाकर्ता / प्रार्थी / आवेदक

म.प्र.प्र.नि. बोर्ड विरुद्ध ड्रीमलैण्ड सिटी वगै.

.... प्रतिवादी / प्रत्यर्थी / अनावेदक

मैं / हम अधोनामित "वादी / अपीलार्थी / दावाकर्ता / प्रार्थी / आवेदक अथवा प्रतिवादी / प्रत्यर्थी / अनावेदक एतद् द्वारा अधोनामित अधिवक्ता (गण) को उपरोक्त प्रकरण / कार्यवाही, जिसमें पुर्नस्थापना, एकपक्षीय आदेश तो निरस्त करने, सुधार संशोधन, पुर्नविलोकन तथा इन कार्यवाहियों में पारित आदेशों को वापस लेने हेतु आवेदन पत्र सम्मलित है, इस न्यायालय में अथवा किसी अन्य न्यायालय में, जिसमें इसका विचारण / श्रवण / कार्यवाही की जानी हो, तथा अपीलीय, पुनरीक्षण अथवा निष्पादन न्यायालय में भी इस प्रकरण / कार्यवाही से अद्भूत कार्यवाही में, तय किये गये निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार उपस्थित होने, कार्य करने, अभिवचन करने तथा उक्त प्रकरण में जैसी आवश्यकता हो अथवा उसके उचित अभियोजन / बचाव हेतु सभी प्रक्रमों पर अभिवचन, अपील, प्रत्याक्षेप,याचिका, आवेदन पत्र, शपथ पत्र अथवा अन्य ऐसे दस्तावेजों, जो कि उस प्रकरण अथवा कार्यवाही के उचित अभियोजन अथवा बचाव हेतु आवश्यक समझे जायें, पर हस्ताक्षर करने अथवा प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त करता, लगाता तथा अधिकृत करता हूँ करते है, एवं उसके / उनके द्वारा किये गये कार्यो की पुष्टि एवं अनुसमर्थन मेरे / हमारे द्वारा किये गये कार्यो के रूप में भी करने हेतु सहमत हूँ / है।

इसके साक्ष्यस्वरूप मैं / हम इस प्रपत्र पर जिसकी विषय - वस्तु / अन्तर्वस्तु को मैंने / हमने भली - भांती समझ लिया है, आज दिनांक ...06... माह ...09... 2024... को अपने हस्ताक्षर करता हूँ / करते है।

वकालतनामा निष्पादित करने वाले प्रत्येक पक्षकार का विवरण :-

क्रं.	नाम पिता / पति	पंजीकृत पता	ई-मेल पता (यदि हो,तों)	फोन नं. (यदि हो,तों)	प्रकरण में हैसियत	पूर्ण हस्ताक्षर अंगूष्ठ चिन्ह ...
1	अरविन्द तिवारी	परासिया रोड,				
2	सहायक मंत्री	छिन्दवाड़ा म.प्र.				
3	क्षेत्रीय कार्यालय				परिवादी	[signature]
4	म.प्र.प्र.नि.बो.					
5	छिन्दवाड़ा					

स्वीकृत :

वकालतनामा स्वीकार करने वाले प्रत्येक अधिवक्ता का विवरण :-

क्रं.	पूर्ण नाम तथा राज्य अधिवक्ता पता	निर्वाह हेतु	ई-मेल पता (यदि हो,तों)	टेलीफोन नं. (यदि हो,तों)	पूर्ण हस्ताक्षर
1	विशाल म्हस्की	Ch. no. 29			
2	विपिन म्हस्की	Dist. Court.		9406535349	Vishal
3		Betul			
4					
5					
6					
7					

जो लागू न हो उसे काट दें।

** अंगुष्ट चिन्हों को उपरोक्तानुसार विवरण प्रस्तुत किये हुये किसी साक्षर व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा।

जिला अभिभाषक संघ बैतूल (म.प्र.)

क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुल्लाजी पेट्रोल पम्प के सामने, परासिया रोड, छिंदवाड़ा
): 07162-220311/12 (O), ई-मेल: : E-mail-romppcbcwh@gmail.com, ropcb-chhindwara@mp.gov.in, वेब: www.mppcb.mp.gov.in

क्र. 791 /प्रनिबो/क्षेका/2024 छिंदवाड़ा दिनांक 22/08/24

कार्यालय आदेश

बोर्ड मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 2682 दिनांक 14.08.2024 के माध्यम से आवासीय परियोजना ड्रीमलैण्ड सिटी (खसरा नम्बर 3/1,3/12), ग्राम मौजा तहसील मुलताई, बैतूल, एवं संस्थापक मेसर्स रामदेव बाबा डेवलपर्स के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24,25,43, एवं 44, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उक्त आवासीय परियोजना व इससे संबंधित समस्त कर्ताधर्ताओं के विरूद्ध न्यायालयीन वाद दायर करने हेतु प्राप्त अनुमति प्राप्त हुई जिस संबंध में इस कार्यालय से श्री अरविंद तिवारी, सहायक यंत्री को नामित किया जाता है। एवं वाद दायर करने के पूर्व समस्त साक्ष्य/दस्तावेज एकत्रित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु श्री संजय राजपूत, रसायनज्ञ को नामित किया जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र जारी होने की दिनांक से 7 कार्यदिवस के भीतर फर्म मेसर्स ड्रीमलैण्ड सिटी, मुलताई, बैतूल के विरूद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज करें।

%c

(के.एन. कटारे)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्र. 792 /प्रनिबो/क्षेका/2024 छिंदवाड़ा दिनांक 22/08/24
प्रतिलिपिः-

1. श्री अरविंद तिवारी, सहायक यंत्री, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री संजय राजपूत, रसायनज्ञ, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

%c

(के.एन. कटारे)
क्षेत्रीय अधिकारी

22/8/24

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016
PBX No :+91-755-2464428 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक/ 2682 /प्रनिबो/विधि/2024 भोपाल दिनांक 20 AUG 2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
छिंदवाडा (म.प्र.)

क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिंदवाड़ा क्र 841 दि 22/08/24

विषयः- मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण कमांक 21/2024 (सीजेड) (विजय सावरकर विरूद्ध अर्बन डवलेपमेंट व हाउसिंग डिपार्टमेंट एवं अन्य) मे पारित आदेश दिनांक 08/04/2024 के परिपालन में आवासीय परियोजना ड्रीमलेंड सिटी व मेसर्स रामदेव बाबा, वेरियों डेवलपर्स के विरूद्ध वाद दायर करने की स्वीकृत प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक 686 प्रनिबो/क्षेका/2024 छिंदवाडा दिनांक 24/07/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा आवासीय परियोजना ड्रीमलेंड सिटी व मेसर्स रामदेव बाबा, वेरियों डेवलपर्स के विरूद्ध न्यायालयीन वाद दायर करने की अनुमति चाही गई है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि आवासीय परियोजना ड्रीमलेंड सिटी (खसरा कमांक 3/1,3/12 ग्राम मौजा तहसील मुलताई जिला बैतूल) एवं संस्थापक मेसर्स रामदेव बाबा, वेरियों डेवलपर्स के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24,25,43 एवं 44, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 की धारा 21,37 एवं 39 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उक्त आवासीय परियोजना व इससे संबंधित समस्त कर्ताघर्ताओं के विरूद्ध न्यायालयीन वाद दायर करने स्वीकृति दी जाती है।

वाद दायर करने के पूर्व समस्त साक्ष्य/दस्तावेज आवश्यक रूप से एकत्रित कर लिये जावे । वाद दायर करने के पश्चात मान्नीय न्यायालय में प्रकरण का पंजीयन सुनिश्चित कर दावे की प्रति (समस्त दस्तावेजों सहित) बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराये ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः-

डायरेक्टर पर्यावरण (तकनीकी) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

Certified Copy of : आदेशपत्रिका दि 10/9/2024 से दि 18/12/2024

Judge Shri/Smt./Ms. : Smt Sangeeta Bharti Rathore

Designation : I Civil Judge, Senior Division and Chief Judicial Magistrate

Copying Application No. : 70 / 2025

Case No : UN CR / 600000 / 00

CNR No :

Hearing / Next Date : 25-01-2025

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
द्वारा अरविन्द तिवारी, सहायक यंत्री
क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुल्लाजी पेट्रोल पम्प के पास, परासिया रोड,
छिन्दवाड़ा म.प्र. ....परिवादी

विरुद्ध

1. ड्रीमलैण्ड सिटी, बैतूल रोड मुलताई जिला बैतूल म.प्र.
2. गोपाल चांडक (डेव्हलपर्स)
   रामदेव बाबा वार्को डेव्हलपमेंट यवतमाल महा.
   C/o वार्को एसोसिएट तिलक स्मारक के पीछे, महोदव मंदिर रोड
   यवतमाल (महा.) 445001
3. शरद वानखेड़े,
   प्रबंधक, ड्रीमलैण्ड सिटी, मुलताई जिला बैतूल म.प्र.
   निवासी ग्राम परमण्डल, तह. मुलताई जिला बैतूल म.प्र.

....अभियुक्तगण

ORDER SHEET

THE COURT .....मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैतूल..............

शासन विरूद्ध ड्रीमलैण्ड सिटी वगै.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–..........

09/11/24 30/11/24 18/12/24 18/1/25

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
10.09.2024	परिवादी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री विशाल महस्की अधिवक्ता ने उपस्थित होकर, परिवाद अंतर्गत धारा–223 अपराध अंतर्गत जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1947 की धारा–24, 25, 43, 44, 47 के अन्तर्गत पेश किया। प्रकरण विचार हेतु दिनांक ....05/10/24..... को पेश हो। **(श्रीमती संगीता भारती राठौर)** **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल**	30/1/25
05.10.2024	परिवादी द्वारा श्री विशाल महस्की अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण विचार हेतु नियत है। परिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु समय चाहा, विचारोपरांत समय प्रदान किया गया। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 09–11–24 को पेश हो। श्रीमती संगीता भारती राठौर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल	
09.11.2024	परिवादी द्वारा श्री विशाल महस्की अधिवक्ता। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। परिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु समय दिए जाने का निवेदन किया गया, बाद विचार समय प्रदान किया गया। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक–30/11/24 को पेश हो। **(श्रीमती संगीता भारती राठौर)** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल	

30.11.2024 परिवादी द्वारा श्री विशाल महस्की अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है।

परिवादी अधिवक्ता द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु समय चाहा, विचारोपरांत समय प्रदान किया गया।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18–12–24 को पेश हो।

(श्रीमती संगीता भारती राठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल

18/12/24

18.12.2024 परिवादी सहित श्री विशाल महस्की अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी द्वारा उक्त परिवादी अनावेदकगण के विरूद्ध प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के प्रावधानो का उल्लंघन किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में अनावेदकगण को सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अनावेदकगण को जरिये सूचना पत्र आहूत किया जावें।

प्रकरण अनावेदकगण की उपस्थिति हेतु दिनांक 30–01–2025 को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
श्रीमती संगीता भारती राठौर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
बैतूल (म.प्र.)